

03/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वदी उप. उनके द्वारा
द्वै आदेश को पालना में प्रति स. 14 व 25 का CR.
हाफ्त एवं प्रति स. 22, 23 व 24 को सामान्य वकील
एवं प्रति स. 32, 33, 34 व 35 को Reg. AD के वकील
द्वै तलाबाना पेश नहीं कर समय जास गया।

अतः वकील वदी को न्यायक्षेत्र में
एक अनुरोध अवसर दिया जाता है, पत्रावली दि.
22/05/24 को पेश हो

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

22/05/24

CN/ 34 / 2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वदी उप. नहीं
वकील वदी को रूक-रूक कर 5.30 pm तक
आवाज लगवाई गई। वकील वदी सा. 3-मना
कोई प्रतिनिधि उप. नहीं।

अतः वदी के वाद को अदम देखी
अदम हाजरी में खरीज किया जाता है।
पत्रावली केवल 2 नुमाद होकर पत्रावली
नाम्बर लेकम हो

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

किशनगढ (अजमेर)
किशनगढ (अजमेर)